(6)

JDH (SZ)/SMO
& DHNP,
19/7/22

SMS (MKH)
पि
20/7/2022

Sh. Susheel Kho
Sngl
20/07/2022

संख्याःएच0टी0सी0—एफ(1)—2 / 2022.
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्यान विभाग

प्रेषक

सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला

निदेशालय उद्यान विभाग
दै सं. 9688
दिनांक 20.7.22
हि. प्र. नव बहार, शिमला-2

प्रेषित

निदेशक उद्यान विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—02

दिनांक, शिमला—02 19-07-2022

विषयः हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022—23 के अन्तर्गत नींबू प्रजाति के फलों जैसे कीनू, मालटा, संतरा तथा गलगल के प्रोक्योरमैंट हेतु मंडी मध्यस्थता योजना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र सं0: 8-4/2018-Udyan(M), दिनांक 21—06—2022 के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022—23 में नींबू प्रजाति के फलों जैसे कीनू, मालटा, संतरा तथा गलगल के प्रोक्योरमैंट हेतु मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने हेतु सरकार की स्वीकृति निम्न रुप में प्रदान करने का निदेश हुआ हैः—

i) योजना के अन्तर्गत 500 मी0 टन कीनू / मालटा / संतरा का प्रोक्योरमैंट ₹ 9.50 (श्रेणी—बी) व ₹ 9.00 (श्रेणी—सी) प्रति कि0 ग्राम तथा 100 मी0टन गलगल का प्रोक्योरमैंट ₹ 8.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से किया जाएगा।

ii) कीनू / मालटा / संतरा के लिए ₹ 2.65 प्रति कि0 ग्राम तथा गलगल के लिए ₹ 1.00 प्रति कि0 ग्राम की दर से हैंडलिग चार्जेज दिये जाएंगे।

iii) कल्पित विक्रय वसूली को कीनू / मालटा / संतरा के लिए ₹ 3.50 प्रति कि0 ग्राम तथा गलगल के लिए ₹ 1.50 प्रति कि0 ग्राम रखा जाएगा।

iv) योजना के अन्तर्गत कुल 52 प्रोक्योरमैंट केन्द्र (सूचि सलंग्न) मांग के आधार पर खोले जाएंगे तथा जरूरत पड़ने पर बाद में और प्रोक्योरमैंट केन्द्र जरूरत के आधार पर खोले जाएंगे जिनका संचालन एच0पी0एम0सी0 व हिमफैड अपने स्टॉफ द्वारा ही करेंगे।

जारी है...

Scanned with CamScanner

v) भण्डारन व यातायात के नुकसान इत्यादि की भरपाई को ध्यान में रखते हुए योजना के अन्तर्गत इस वर्ष भी फलों का प्रोक्योरमैंट 2.5 प्रतिशत अधिक फल सहित किया जाएगा।

vi) यह योजना राज्य में 21–11–2022 से 15–02–2023 तक लागू रहेगी।

आपसे अनुरोध है कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार करें ताकि राज्य के फल उत्पादक इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।

भवदीया,

(निशा कश्यप)
अवर सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दू0सं0:0177–2625346

पृष्ठांकनः उपरोक्त दिनांक, शिमला–171002

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. अवर सचिव भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हि0 प्र0 सरकार, शिमला–02
3. सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को माननीय मंत्रीपरिषद की दिनांक 14.07.2022 की बैठक में चर्चा की गई मद संख्या:31 के संदर्भ में।
4. प्रबन्ध निदेशक, एच0पी0एम0सी0, निगम विहार, शिमला–02
5. प्रबन्ध निदेशक, हिमफैड, शिमला–03
6. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क हि0प्र0, शिमला–02
7. निजि सचिव, उद्यान मंत्री, हि0 प्र0, शिमला–02
8. गार्ड नस्ति।

(निशा कश्यप)
अवर सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दू0सं0:0177–2625346

...

Scanned with CamScanner

Annexure-"G"

LIST OF PROPOSED COLLECTION CENTRES FOR THE ROCUREMENT OF KINNOW/MALTA/SANGTRA AND GALGAL FRUITS UNDER CITRUS MIS-2022-23

Name of District	Sr. No.	Name of Collection Centre	To be operated by.
Kangra	1	Baijnath	HPMC
	2	Bhogarwan	HPMC
	3	Bankhandi	HIMFED
	4	BheduMahadev	HIMFED
	5	Dhaliara	HIMFED
	6	Dadasiba	HPMC
	7	Indpur	HPMC
	8	Jachh	HIMFED
	9	Jawalamukhi	HIMFED
	10	Jawali	HPMC
	11	Kandrori	HPMC
	12	Khundian	HPMC
	13	KasbaKotla	HPMC
	14	Lunj	HIMFED
	15	Lambagaon	HIMFED
	16	NagrotaBagwan	HIMFED
	17	NagrotaSurian	HPMC
	18	Panchrukhi	HIMFED
	19	Pragpur	HPMC
	20	Ranital	HIMFED
	21	Shahpur	HPMC

Scanned with CamScanner

Mandi	1	Dharampur	HPMC
	2	Sandhol	HPMC
	3	Marhi	HPMC
	4	Jhangi	HPMC
	5	Dhawali	HPMC
	6	SidhPur	HPMC
	7	Baroti	HPMC
	8	Sajao Piploo	HPMC
	9	Tihra	HPMC
	10	Cholthra	HPMC
	11	Rakhoh	HPMC
Una	1	Amb	HIMFED
	2	Bangana	HIMFED
	3	Gagret	HIMFED
	4	Saloh	HIMFED
	5	Una	HIMFED
Hamirpur	1	Bijhri	HPMC
	2	Hamirpur	HIMFED
	3	Nadaun	HIMFED
	4	Sujanpur	HIMFED
	5	Tarkwari (Bhoranj)	HIMFED

Scanned with CamScanner

Bilaspur	1	Baroha	HPMC
	2	Kalol	HPMC
	3	Nihari	HPMC
	4	Nihal	HPMC
	5	Swarghat	HPMC
Sirmour	1	Bagthan	HPMC
	2	Dhaulakuan	HPMC
Solan	1	Nalagarh	HPMC
	2	Parwanoo	HPMC
Kullu	1	Luri	HIMFED
Total:-	**52**		

Scanned with CamScanner